उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–449/XX–4/2021–01(36)/2020
देहरादून : दिनांक 03 मई 2021

कार्यालय आदेश

श्री बाल सुग्रीव, प्रधान बंदीरक्षक द्वारा कारागार मुख्यालय, देहरादून के दण्डादेश सं0–208/अध.4(वि0का0)/11, दिनांक 05.06.2020 के विरूद्ध अपने पत्र दिनांक 22.07.2020 के द्वारा शासन में अपील प्रस्तुत की गई, जिसके मुख्य तथ्य निम्नवत् हैः–

2– सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज में निरूद्ध आजीवन कारावासित बंदी शब्बीर उर्फ़ कल्लन द्वारा दिनांक 03.08.2011 को कारागार के नजदीक 04 एकड़ लालरखास क्षेत्र से कृषि कार्य के समय शौच का बहाना बनाकर पलायन कर जाने की घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री बालसुग्रीव, प्रधान बंदीरक्षक के विरूद्ध तत्कालीन अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज द्वारा आई0पी0सी0 की धारा–223 के अन्तर्गत था0 सितारगंज, ऊधमसिंहनगर में वाद पंजीकृत कराया गया।

3– प्रकरण में विभागीय कार्यवाही हेतु महानिरीक्षक कारागार के पत्र दिनांक 06.08.2011 के द्वारा अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार को जॉच अधिकारी नामित करते हुए पत्र दिनांक 30.09.2011 के द्वारा श्री बालसुग्रीव पर निम्न आरोप अधिरोपित करते हुए आरोप पत्र निर्गत किया गया :–

1. श्री बालसुग्रीव की अभिरक्षा से सिद्धदोष बंदी शब्बीर पुत्र कल्लन (कैदी सं0 16470), नि0–नैनीताल पलायन कर गया है। पलायन किये जाने के प्रकरण में कारागार नियमावली में सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप अपने पद के निहित कर्तव्यों एवं दायित्वों का नर्वहन न किये जाने तथा घोर लापरवाही बरतने के निमित्त अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज की प्रारंभिक जॉच रिपोर्ट मे प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री बालसुग्रीव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए, तात्कालिक प्रभाव से आदेश दिनांक 05.08.2011 द्वारा निलम्बित किया गया है।
2. इस प्रकार आपके द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये वैध आदेशों का उल्लंघन करने एवं अपने निहित कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गयी घोर उदासीनता/लापरवाही के कारण सिद्धदोष बंदी शब्बीर पुत्र कल्लन, नि0–नैनीताल के द्वारा पलायन करने में सफल हो जाने कि निमित्त श्री बालसुग्रीव सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम–3 एवं कारागार नियमावली के प्रस्तर–1118(10) एवं 1194(क),(ख),(ज) व (झ) में निहित प्राविधानों का घोर उल्लंघन करने के दोषी है।

तद्क्रम में श्री बालसुग्रीव द्वारा अपना प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 01.11.2011 कारागार मुख्यालय, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करते हुए उन पर लगाये गये समस्त आरोपों को अस्वीकार किया गया।

4– प्रकरण में जॉच अधिकारी द्वारा विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पन्न कर अपनी आख्या/रिपोर्ट दिनांक 06.12.2016 लगभग 05 वर्ष पश्चात् महानिरीक्षक कारागार मुख्यालय को उपलब्ध कराई गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि–कारागार नियमावली के प्रस्तर–911 के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि बाहर कार्य करने वाली टोली के प्रभारी प्रत्येक प्रहरी हर समय दोषसिद्ध कैदियों में निगरानी रखेगा, यदि किसी कैदी को अतिआवश्यक कार्य है तो कारागार के बाहर शौचालय या मूत्रालय न होने की स्थिति में पूरी टोली कारागार के भीतर जायेगी। किसी भी कैदी या अन्य व्यक्ति को खुले मैदान या कारागार की नालियों में मूत्र त्याग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अपचारी कर्मचारी के द्वारा शिविरवासी पलायित बंदी शब्बीर को शौच निवृत्ति हेतु श्रम स्थल के निकट झाड़ी में जाने की अनुमति देना नियम विरूद्ध है। यदि शौच निवृत्ति हेतु नियमानुसार पलायित बंदी की सुरक्षा पर सतर्क दृष्टि एवं सावधानी रखी जाती तो बंदी पलायन करने में सफल नहीं हो पाता। अतः उक्त बंदीरक्षक जेल मैनुअल के

प्रस्तर–1194(क),(ख) के अन्तर्गत दोषी पाया जाता है। प्रभारी कमान अपचारी कर्मचारी के द्वारा पलायित बंदी शब्बीर के रमजान/रोजा के कारण कमान से श्रम न करवा कर नाश्ता के पश्चात् कमान से अलग बैठा दिया था। कारागार नियमानुसार किसी भी सिद्धदोष कैदी को अपनी टोली से बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। अपचारी कर्मचारी के द्वारा उक्त बंदी को कार्य स्थल से चार एकड़ प्लाट में ही काम न करवाकर उसे बैठने की अनुमति प्रदान कर बंदी को पलायन जैसे षडयंत्र को करने के लिए अवसर प्रदान किया गया, जिसके कारण बंदी पलायन करने में सफल हो गया। अतः उक्त आरोप में जेल मैनुअल के प्रस्तर–1194(ज) दोषी पाया जाता है।

5– उक्त के अतिरिक्त जॉच आख्या में यह भी उल्लिखित किया है कि–अपचारी कर्मचारी श्री बाल सुग्रीव को कमान नं0 1 का प्रभार सौंपकर कारागार के लालरखास पट्टी के सामने चार एकड़ प्लॉट पर कृषि कार्य हेतु आदेशित किया गया था। अपचारी कर्मचारी के द्वारा दिये गये आदेश का पालन न कर बंदियों की सुरक्षा में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप शिविरवासी शब्बीर पुत्र कल्लन पलायन करने में सफल हो गया। अतः जेल मैनुअल के प्रस्तर–1118(10) के आरोप में दोषी पाये जाते है।

6– जॉच अधिकारी की जॉच आख्या के आधार पर महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड के द्वारा लगभग 04 वर्ष पश्चात् आदेश संख्या–208/अध–4(वि0का0)/2011, दिनांक 05.06.2020 के द्वारा श्री बालसुग्रीव को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के प्रस्तर–3 एवं कारागार नियमावली के प्रस्तर–118(10) एवं 1194 (क)(ख)(ज)(झ) के अन्तर्गत आगामी पांच वेतनवृद्धियॉ बिना भविष्यगामी प्रभाव के रोकी जाती है, के दण्ड से दण्डित किया गया है।

7– प्रकरण में उपर्युक्त सुसंगत तथ्यों के अन्वेषणोपरान्त यह स्पष्ट है कि बंदी पलायन की उक्त घटना में श्री बालसुग्रीव, प्र0बं0र0 द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का उचित प्रकार निर्वहन नहीं किया गया है। यद्यपि मा0 न्यायालय के द्वारा अपचारी कार्मिक को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त किया गया है, जो कि एक तकनीकी आधार है परन्तु मानवीय आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दोनों में एक बड़ा अन्तर है। जॉच अधिकारी द्वारा भी जॉच में अपचारी कार्मिक को पूर्णतः दोषी पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अपील/प्रकरण बलहीन पाये जाने के कारण विचार योग्य नहीं है। तद्नुसार महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड के पारित दण्डादेश संख्या–208, दिनांक 05.06.2020 को यथावत् बनाए रखते हुए अपील निस्तारित की जाती है।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या–449/XX–4/2021–1(36)/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. श्री बालसुग्रीव, प्रधानबंदीरक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–392/XX–4/2021–01(23)/2020
देहरादून : दिनांक 8 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

श्री सुनील कुमार, बंदीरक्षक द्वारा कारागार मुख्यालय, देहरादून के दण्डादेश सं0–1331/48/अध.वि0का0/11, दिनांक 22.10.2018 के विरूद्ध अपने पत्र दिनांक 13.06.2020 के द्वारा शासन में अपील प्रस्तुत की गई, जिसके मुख्य तथ्य निम्नवत् हैः–

1- जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध आजीवन कारावासित बंदी सलीम उर्फ नन्हें पुत्र हसमत व बंदी रवि बंगाली उर्फ रवि मण्डल पुत्र श्री आनन्द मण्डल द्वारा दिनांक 30.08.2011 को अपरान्ह् 04:15 बजे कारागार के मुख्य द्वार से पलायन कर जाने की घटना में श्री सुनील कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.08.2011 को उनकी ड्यूटी जिला कारागार, देहरादून में दिन के 12:00 बजे से 16:00 बजे तक सदर गेट पर गेटकीपर की थी, जबकि तत्कालीन अधीक्षक, जिला कारागार, देहरादून के द्वारा थाना सहसपुर, देहरादून में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है कि उक्त बंदियों के द्वारा दिनांक 30.08.2011 को अपरान्ह् 04:15 बजे कारागार की मेनवॉल से पलायन किया गया।
2. घटना के दिन श्री सुनील कुमार द्वारा दिन के 12:10 बजे गेट का चार्ज प्राप्त किया तथा 16:14 बजे सदरगेट का चार्ज श्री कुंवरपाल सिंह, बंदीरक्षक को नियमानुसार दिया गया। श्री सुनील कुमार की ड्यूटी के समय कोई बंदी कारागार के सदर गेट से फरार नहीं हुआ।
3. उक्त घटना में अधीक्षक, जिला कारागार, नैनीताल द्वारा विभागीय जॉच की गई, परन्तु जिला कारागार, देहरादून के मुख्यद्वार पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फुटेज की जॉच नहीं की गयी, जिससे पता चल सके की बंदियों के पलायन की घटना में कौन जिम्मेदार है।
4. कारागार मुख्यालय द्वारा अधिरोपित किये गये आरोपों के विरूद्ध श्री सुनील कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में क्रिमीनल मिस्लेनियस प्रार्थना–सी 482, अपील संख्या–936/2015 योजित की गई, जिसमें दिनांक 22.10.2016 को हुई सुनवाई में मा0 न्यायालय द्वारा श्री सुनील कुमार के पक्ष में अपना निर्णय देते हुए उक्त घटना में उनको बरी कर दिया गया, जिसका संज्ञान कारागार मुख्यालय द्वारा नहीं लिया गया और श्री सुनील कुमार, बंदीरक्षक को दण्डित किया गया है।
5. पलाययित बंदी सलीम उर्फ नन्हें पुत्र हसमत व बंदी रवि बंगाली उर्फ रवि मण्डल पुत्र श्री आनन्द मण्डल के बयानों में विरोधाभाष।

2– जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध आजीवन कारावासित बंदी सलीम उर्फ नन्हें पुत्र हसमत व बंदी रवि बंगाली उर्फ रवि मण्डल पुत्र श्री आनन्द मण्डल द्वारा दिनांक 30.08.2011 को कारागार के मुख्यद्वार से पलायन कर जाने की घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री सुनील कुमार, बंदीरक्षक के विरूद्ध तत्कालीन अधीक्षक, जिला कारागार, देहरादून द्वारा थाना0 सहसपुर, देहरादून में आई0पी0सी0 की धारा–223 व 224 के अन्तर्गत वाद सं0–138/2011 पंजीकृत कराया गया।

3— प्रकरण में विभागीय कार्यवाही हेतु महानिरीक्षक कारागार के द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज को जॉच अधिकारी नामित किया गया, जिसके क्रम में जॉच अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 30.09.2011 के माध्यम से श्री सुनील कुमार को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम–3 एवं कारागार नियमावली के प्रस्तर–1111, 1118(10), 1194(क), (ख), (ज) व (झ) व राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के प्रस्तर–3(1) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये गये :–

1. दिनांक 30.08.2011 को श्री सुनील कुमार, बंदीरक्षक की ड्यूटी के दौरान मेन गेट से सिद्धदोष बंदी रवि बंगाली उर्फ रवि मंडल, नि0–नैनीताल तथा सलीम उर्फ नन्हें, नि0–बरेली के कारागार के मुख्यद्वार से पलायन करने मे सफल हो गये लेकिन सुनील कुमार द्वारा बंदीरक्षक के निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नही किया गया, जिसका समुचित लाभ उठाकर बंदी पलायन करने में सफल हो गये। श्री सुनील कुमार का यह कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा कर्तव्य विमुखता का परिचायक है। इस प्रकार श्री सुनील कुमार सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम–3 एवं कारागार नियमावली के प्रस्तर–11, 1118(10), 1194(क),(ख),(ज) व (झ) एवं राज्य कर्मचारी नियमावली 2002 के प्रस्तर–3(1) के स्पष्ट रूप से उल्लंघन के दोषी माने जाते है।
2. दिनांक 30.08.2011 को 02 बंदियों के पलायन की घटित घटना में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–138/2011, अन्तर्गत धारा 223/224 भा0द0वि0 में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने मे श्री सुनील कुमार को जमानत करानी पड़ी। इस प्रकार श्री सुनील कुमार का यह कृत्य कर्तव्य विमुखता एवं नियमों की स्पष्ट रूप से उल्लंघन के दोषी माने जाते है।

तद्क्रम में श्री सुनील कुमार द्वारा अपना प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 30.05.2012 कारागार मुख्यालय, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करते हुए उन पर लगाये गये समस्त आरोपों को अस्वीकार किया गया।

4— प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर क्रिमिनल रिट पिटीशन सं0–138/2011 सुनील कुमार बनाम महानिरीक्षक कारागार व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2011 के अनुपालन में कारागार मुख्यालय द्वारा श्री सुनील कुमार, बंदीरक्षक के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब होने के कारण कारागार मुख्यालय के आदेश दिनांक 21.12.2013 के द्वारा जॉच अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज अधीक्षक के स्थान पर वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार, नैनीताल को जॉच अधिकारी नामित किया गया, जिसके क्रम में जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या दिनांक 14.01.2014 में श्री सुनील कुमार, बंदीरक्षक को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम–3 एवं कारागार नियमावली के प्रस्तर–11, 1118(10), 1194(क), (ख), (ज) व (झ) व राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के प्रस्तर–3(1) के उल्लंघन के आरोपों में दोषी मानते हुए अपनी जॉच आख्या कारागार मुख्यालय को प्रस्तुत की गई। जॉच अधिकारी की आख्या के क्रम में कारागार मुख्यालय द्वारा श्री सुनील कुमार को बचाव का अवसर प्रदान करने हेतु पत्र दिनांक 01.04.2014 जारी किया गया। तद्क्रम में श्री सुनील कुमार द्वारा दिनांक 03.05.2014 को अपना प्रत्युत्तर अधीक्षक, जिला कारागार, देहरादून के माध्यम से कारागार मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए स्वयं को पूर्णतया निर्दोष बताया गया।

5— प्रकरण में विभागीय जॉच आख्या दिनांक 14.01.2014 के आधार पर महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड के आदेश संख्या–1331/48/अध.वि0का0/11, दिनांक 22.10.2018 के द्वारा श्री सुनील कुमार को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के प्रस्तर–3 एवं कारागार नियमावली के प्रस्तर–11, 1118(10) एवं 1194 (क),(ख),(ज) व (झ) एवं राज्य कर्मचारी नियमावली,

2002 के प्रस्तर–3(1) के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2010 के नियम–3(ख) (दो) के अधीन श्री सुनील कुमार, प्रधान बंदीरक्षक को पूर्णतः दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है।

6– प्रकरण में दाखिल रिट याचिका–936/2015 में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2016 द्वारा श्री सुनील कुमार के पक्ष में दिया गया निर्णय निम्नवत् है :–

it is not disputed by the State that the applicant was not involved in this case in any manner in the escape of all accused namely Salim Nanhe and Ravi Bengali @ Ravi Mandal.

Accordingly, this C-482 petition is allowed and the charge-sheet of Criminal Case No.138 of 2011 and summoning order dated 08-01-2013, as well as the entire proceedings of Criminal Case No. 692 of 2013 (old no. 19 of 2013) are hereby quashed.

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के उपरोक्त पारित निर्णय दिनांक 22.10.2016 के क्रम में कारागार मुख्यालय द्वारा कोई अपील उच्च न्यायालय मे नहीं की गई।

7– अपील की सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त श्री सुनील कुमार के विरूद्ध दण्डादेश पारित करते समय निम्न तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया गयाः–

1- प्रकरण मे अधीक्षक, जिला कारागार, नैनीताल की विभागीय जॉच आख्या दिनांक 14.01.2014 के आधार पर महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड के द्वारा लगभग 04 वर्ष पश्चात् आदेश दिनांक 22.10.2018 के द्वारा श्री सुनील कुमार को दण्डित किया गया है। उक्त जॉच आख्या के आधार पर ही दण्ड दिया जाना था तो इतना विलम्ब क्यों किया गया, स्पष्ट नहीं है।

2. बंदी पलायन की उक्त घटना में जिला कारागार, देहरादून के मुख्य द्वार पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फुटेज क्यों नहीं देखी गई ? जबकि तत्कालीन अधीक्षक के कथनानुसार कारागार के मुख्यद्वार पर लगे सी0सी0टी0वी0 चालू स्थिति में थे।

3- उक्त घटना में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कारागार, देहरादून के आदेश सं0–670/01/ सू0अ0 अधि0 /अपील/12–13, दिनांक 19.04.2012 में उल्लिखित किया है कि–श्री सुनील कुमार कारागार के मुख्यद्वार पर द्वारापाल के रूप में समय 12:00 बजे से 16:00 बजे तक ड्यूटी पर थे और चूंकि उक्त पलायन मे उन्हें एक माह पश्चात् पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है। अतः सी0सी0टी0वी0 की फुटेज से सत्यता प्रमाणित होती, तो निष्पक्ष न्याय होता।

4. उक्त घटना में दोनों बंदियों द्वारा दिये गये बयान भिन्न–भिन्न है, जिसमें बंदी सलीम उर्फ नन्हें द्वारा बयान दिया है कि सफाई करते समय उसको दिखाई पड़ा कि कारागार के मुख्यद्वार पर कुण्डा बन्द है परन्तु ताला नहीं लगा है। उक्त बंदी रवि मण्डल के साथ गेट का कुण्डा खोलकर बाहर निकला और उत्तर दिशा की ओर दीवार पर चढ़कर बाहर कूद गया तथा बंदी रवि मण्डल उर्फ रवि द्वारा बयान दिया कि सफाई करते समय उसको दिखाई पड़ा कि कारागार के गेट नं0 1 पर ताला लगा हुआ है पर कुण्डा नहीं लगा है। उक्त बंदी सलीम उर्फ नन्हें के साथ गेट का कुण्डा खोलकर बाहर निकला और उत्तर दिशा की ओर दीवार पर चढ़कर बाहर कूद गया।

5. जॉच अधिकारी द्वारा विभागीय जॉच आख्या में यह निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 30.08.2011 को कारागार से दो बंदियों के पलायन की घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।

6. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.10.2016 का संज्ञान नहीं लिया गया है और न ही उक्त आदेश के विरूद्ध विशेष अपील योजित की गई।

8— प्रकरण में उपर्युक्त सुसंगत तथ्यों के अन्वेषणोपरान्त यह स्पष्ट है कि दण्डादेश निर्गत करते समय समस्त तथ्यों, नियमों एवं विधि के प्राविधानों का पूर्ण रूप से संज्ञान नहीं लिया गया है, जिस कारण उक्त दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियमों के आलोक में श्री सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राह्य करते हुए महानिरीक्षक कारागार के दण्डादेश संख्या—1331/48/अध.वि0का0/11, दिनांक 22.10.2018 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(अतर सिंह)
अपर सचिव

संख्या—392/XX—4/2021—1(23)/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. श्री सुनील कुमार, बंदीरक्षक, जिला कारागार, टिहरी।
7. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अखिलेश मिश्रा)
उप सचिव